न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :-श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :- 226/2022

अनवान मुकदमा –

1. हनुमानगर पुत्र हुणतगर जाति गुंसाई साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. बिदामी पत्नी हनुमानगर जाति गुंसाई साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. रोहित पुत्र साहबराम जाति गुंसाई साकिन बरमसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

-:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणाः-

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1
3. राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 2

-:: निर्णय :-

दिनांक – 14/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार संहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियो मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है ।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता श्री हुणतगर थे।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के ग्राम बड़ोपल बारानी के खाता सं. 178 के खसरा सं. 529 की 6.995 हैक. मे से 2.024 हैक. बारानी मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादी सं. 1 के नाम से वादी सं. 1 के पिता हुणतगर ने अलॉट करवाकर राजस्व अभिलेख मे किशतें जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे। इस प्रकार वादग्रस्त रकबा पैतृक कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं. 1 अविवाहित है जो कि वादीगण के साथ रिहायस करता है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की सेवा चाकरी से खुश एवं प्रसन्न होकर वादग्रस्त रकबा प्रतिवादी सं. 1 के नाम इन्द्राज करवा दिया था। प्रतिवादी सं. 1 अब वादग्रस्त रकबा अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त रकबा को हर प्रकार से हस्तांतरित करने पर आमादा है। वादीगण बुजुर्ग है और वादीगण के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्रोत नही है। वादग्रस्त रकबा पैतृक कृषि भूमि होने के कारण से वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:56 IST
Reason: SelfAttested

14.06.2022
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नाम से इन्द्राज करवा दी थी जिसमे वादीगण का हक व हिस्सा निहित है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज कृषि भूमि मे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन करवाकर घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :–

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित ग्राम बड़ोपल बारानी के खाता सं. 178 के खसरा सं. 529 की 6.995 हैक. मे से 2.024 हैक. के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार है जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ। शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। हमने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 का अवलोकन एवं अध्ययन किया, जिसमें वर्णित किया गया है कि जहां कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात अपनी सम्पत्ति का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण इस शर्त के अधीन रहते हुए किया है कि अंतरिती, अन्तरक को बुनियादी सुख–सुविधाएं और बुनियादी भौतिक आवश्यकतां प्रदान करेगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख–सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इंकार करेगा या असफल रहेगा तो सम्पत्ति का उक्त अंतरण कपट या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया गया समझा जाएगा और अंतरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पायी कि वा[illegible]र्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो [illegible] होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की [illegible] से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि ग्राम बड़ोपल बारानी के खाता सं. 178 के खसरा सं. 529 की 6.995 हैक. मे से 2.024 हैक.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:56 IST
Reason: SelfAttested

14.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

14.06.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:56 IST
Reason: SelfAttested

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 226/2022

अनवान मुकदमा –

1. हनुमानगर पुत्र हुणतगर जाति गुंसाई साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. बिदामी पत्नी हनुमानगर जाति गुंसाई साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. रोहित पुत्र साहबराम जाति गुंसाई साकिन बरमसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

-:: निर्णय ::-

दिनांक – 14/06/2022

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि ग्राम बड़ोपल बारानी के खाता सं. 178 के खसरा सं. 529 की 6.995 हैक. मे से 2.024 हैक. के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है जिसमें से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। [illegible] अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तामील [illegible]

आदेश आज दिनांक 14/06/2022 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:56 IST
Reason: SelfAttested

14.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा